न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 26/2020

आर.सी.एम.एस. : 2020/00294

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
अशोक कुमार पुत्र मेघारामजी उर्फ मेगारामजी जाति सीरवी निवासी औंगणावा बेरा, ग्राम भगवानपुरा तहसील रानी जिला पाली (राज.)		1. तेजा पुत्र मेघाराम उर्फ मेगारामजी जाति सीरवी निवासी औंगणवा बेरा, ग्राम भगवानपुरा तहसील रानी जिला पाली (राज.) 2. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार रानी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण चौधरी

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्दराम भटनागर

–: निर्णय :–

दिनांक:– 17/02/2021

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत ग्राम भगवानपुरा के नामान्तरकरण संख्या 462 दिनांक 20.01.1983 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्टगण एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का इटन्द्रा चारणान तहसील देसूरी हाल रानी के पुराना खसरा नम्बर 44, 52, 53 कुल रकबा 85 बीघा 10 बिस्वा जो बाद सेटलमेन्ट नये खसरा नम्बर 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 335, 336, 337 व 338 बने, उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 पिता मेगा पुत्र इन्दा की सहखातेदारी भूमि स्थित थी। अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात उनका फौतदगी नामान्तरकरण संख्या 462 हल्का पटवारी द्वारा भरा गया, तब बिना किसी जांच किए ही विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुए अपीलाण्ट का नाम अशोक कुमार के ... ह ओगडिया पुत्र मेगा दर्ज कर दिया। जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम अशोक ... है तथा उसके सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आई.डी. ... राशन कार्ड भी अशोक कुमार पुत्र मेगाराम के नाम से बने हुए है। अपीलाण्ट को ... अपील नामान्तरकरण की प्रथम जानकारी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जमाबन्दी की आवश्यकता हुई, तो ऑनलाईन जमाबन्दी प्राप्त की, तक पता चला कि जैर अपील नामान्तरकरण में अपीलाण्ट का नाम अशोक कुमार न होकर ओगडिया है। उसी दिवस

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:56:27 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर, पाली

दिनांक 29.07.2020 को नकले प्राप्त कर अपील न्यायालय में पेश की जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरवाया जावें, जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त करावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने वक्त बहस जवाब पेश करते हुए कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण हल्का पटवारी जांच किए बिना ही दर्ज कर दिया। उसके अपीलाण्ट के अलावा ओगडिया नाम का कोई अन्य भाई नहीं है। जैर अपील नामान्तरकरण की आराजी पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अपने-अपने हिस्से पर काबिज है, इस कारण नामान्तरकरण संख्या 462 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलाण्ट का नाम ओगडिया पुत्र मेगा की जगह अशोक कुमार किया जाता है, तो उसे कोई आपति या उज्र एतराज नहीं है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली, मूल नामान्तरकरण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के जवाब का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1983 में दर्ज किया गया है, लेकिन इससे अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाने से अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पिता मेगाराम के देहान्त के पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 462 दिनांक 20.01.1983 को दर्ज किया गया, जिसमें अपीलाण्ट का नाम अशोक कुमार की जगह ओगडिया दर्ज कर दिया गया, जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम अशोक कुमार है। अपीलाण्ट का नाम अशोक कुमार है, इसकी ताईद पत्रावली संलग्न आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं राशन कार्ड की प्रति एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के जवाब से होती है। ऐसी स्थिति में जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 462 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत ग्राम भगवानपुरा के नामान्तरकरण संख्या 462 दिनांक 20.01.1983 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रानी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक मेगाराम पुत्र इन्दा जाति सीरवी निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील रानी के विधिक वारिशान की जांच कर, सभी पक्षकारान को सुनवाई का समूचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandbhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:56:27 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 17/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली